Postal Reg. No.GDP -45/2020-2022

अल्लाह तआला का आदेश

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(सूरत बक़रह:184)

अनुवाद : हे वे लोगो जो ईमान लाए हो! तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़्वा इख़्तियार करो।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

वर्ष- 7
अंक- 14

मूल्य
575 रुपए
वार्षिक

साप्ताहिक क़ादियान
बदर
Weekly
BADAR Qadian
HINDI

संपादक
शेख़ मुजाहिद अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

05 रमज़ान 1443 हिज्री कमरी, 07 शहादत 1401 हिज्री शम्सी, 07 अप्रैल 2022 ई.

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़जल नाज़िल करता रहे। आमीन

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

(1897) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च किया, जन्नत के दरवाज़ों से उसे आवाज़ दी जाएगी। हे अल्लाह के बंदे! यह (दरवाज़ा) अच्छा है। अत: जो नमाज़ पढ़ने वालों में से होगा, वे नमाज़ के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो जिहाद करने वालों में से होगा, वे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो रोज़े दारों में से होगा, उसे रयान दरवाज़ा से बुलाया जाएगा। जो सदक़ा देने वालों में से होगा, उसे सदक़ा के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा। तो हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने (यह सुन कर) कहा: हे रसूलुल्लाह! मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर क़ुर्बान जो इन दरवाज़ों में से बुलाया गया तो उसे कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। (हुज़ूर फ़रमाएं) क्या कोई ऐसा भी है जिसे इन सब दरवाज़ों में से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : हाँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हो भी इन्हीं में से होंगे।

नोट : हज़रत-ए-सय्यद ज़ैनुल आबेदीन वली अल्लाह शाह साहब रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं : زَوْجَيْن से हर प्रकार का जोड़ा मुराद है। इस विषय में किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़ल अल् नुफ़्क़ा फ़ी सबीलिल्लाह रिवायत नम्बर 2841 देखिए।

(सही बुख़ारी, भाग 3 किताब अल् सौम, मुद्रित क़ादियान 2008 ई.)

मेरी तबीयत और फ़ित्रत की ही यही ज़रूरत है कि जो काम हो अल्लाह के लिए हो जो बात हो ख़ुदा के वास्ते हो

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

समस्त उपस्थितगण ध्यान से सुनें। मैं अपनी जमाअत और ख़ुद अपनी ज़ात और अपने नफ़्स के लिए यही चाहता और पसंद करता हूँ कि ज़ाहिरी बात चीत जो लैक्चरों में होती है उसको ही पसंद न किया जाए और समस्त उद्देश्य आकर इस पर ही न ठहर जाए कि बोलने वाला कैसी जादू भरी तक़रीर कर रहा है। शब्दों में कैसा ज़ोर है। मैं इस बात पर राज़ी नहीं होता, मैं तो यही पसंद करता हूँ और न बनावट और तकल्लुफ़ से बल्कि मेरी तबियत और फ़ित्रत की ही यही मांग है कि जो काम हो अल्लाह के लिए हो जो बात हो ख़ुदा के वास्ते हो। अगर अल्लाह की रज़ा और उसके अहकाम की तामील मेरा उद्देश्य न होता, तो अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि मुझे तक़रीरें करनी और उपदेश सुनाना तो एक तरफ़, मैं तो हमेशा हमेशा अलग अकेले रहने ही को पसंद करता हूँ और तन्हाई में वह आनंद पाता हूँ जिस को वर्णन नहीं कर सकता, परन्तु क्या करूँ लोगों की हमदर्दी खींच खींच कर बाहर ले आती है और अल्लाह तआला का हुक्म है, जिसने मुझे तब्लीग़ पर निर्धारित किया है। मैं ने यह बात कि ज़ाहिरी बात चीत ही को पसंद न किया जाए, इसलिए वर्णन की है कि हर खेर में भी शैतान का हिस्सा रखा होता है। अत: जब इन्सान उपदेश देने के लिए खड़ होता है तो इस में शक नहीं कि امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (नाकियों का निर्देश देना और अवैध कामों से रोकना) बहुत ही अच्छा काम है, परन्तु इस पद पर खड़ा होने वाले को डरना चाहिए कि इस में गुप्त रूम में शैतान का भी हिस्सा है। कुछ तो उपदेश के अंतर्गत आता है और कुछ सुनने वालों के हिस्से में। इस की हक़ीक़त यह है कि जब उपदेश के लिए खड़े होते हैं, तो उद्देश्य और दिल्ली तमन्ना केवल यह होती है कि मैं ऐसी तक़रीर करूँ कि उपस्थितगण ख़ुश हो जाएं। ऐसे शब्दों और वाक्यों को बोलूँ कि हर तरफ़ से वाह वाह की आवाज़ें आएं। मैं इस किस्म

शेष पृष्ठ 12 पर

क़ुरआन को समस्त संसार तक पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि उस का नुज़ूल समस्त संसार की तरफ़ है और यह समस्त संसार का माल है काश! मुस्लमान इस बिंदु को समझते और इस्लाम की तब्लीग़ के कर्तव्य के अदा करने में सुस्ती न करते तो आज दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई और मज़हब नज़र नहीं आता एक ईसाई का कथन है कि क़ुरआन में यह ख़ूबी है कि हर मज्लिस में पढ़ा जा सकता है, परन्तु हमारी किताबें ऐसी हैं कि हर मज्लिस में नहीं पढ़ी जा सकतीं

सय्यदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो सूरत नहल आयत 44 بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ की तशरीह में फ़रमाते हैं

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ --- لِتُبَيِّنَ का लाम लामे तालील भी हो सकता है और लाम आक़िबत भी। लाम तालील की सूरत में उसके यह माने होंगे कि हमने तुझ पर दूसरी पुस्तकों से उच्च विशेषताओं वाली किताब उतारी है ताकि तू समस्त संसार को वह शिक्षा सुनाए जो उनके लिए उतारी गई है अर्थात तुझ पर उतरने वाली शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम होना इस कारण से है कि अल्लाह तआला ने उसे किसी एक क़ौम या एक ज़माना के लोगों के लिए नाज़िल नहीं किया बल्कि सब लोगों के लिए नाज़िल किया है। चाहे वे किसी क़ौम के हों या किसी ज़माना के हों। लाम आक़िबत की सूरत में यह अर्थ होंगे कि चूँकि तुझ पर सर्वोत्तम पुस्तक नाज़िल हुई है इस लिए तू उसे छुपा कर किस तरह रख सकता था। इस सर्वोत्तम पुस्तक का नुज़ूल उसका कारण हुआ है कि तू समस्त संसार को इस की तरफ़ बुला रहा है। ऐसी किताब जिस पर नाज़िल हो वह ख़ामोश किस तरह रह सकता है।

نُزِّلَ اِلَيْهِمْ कह कर कुफ़्फ़ार की भावनाएं प्रेम को उभारा है अर्थात जबकि किताब तुझ पर नाज़िल हुई है लेकिन चूँकि उद्देश्य यह है कि इस किताब से समस्त संसार लाभ उठाए इस लिए वास्तव में यह नुज़ूल सारी दुनिया पर ही है। फिर ये लोग अल्लाह तआला की इस मुहब्बत की क़दर क्यों नहीं करते। نُزِّلَ اِلَيْهِمْ से इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि इस किताब का समस्त संसार तक पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि इसका नुज़ूल समस्त संसार की तरफ़ है और यह समस्त संसार का माल है। अत: उन तक उसका पहुंचाना निहायत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। काश मुस्लमान इस बिंदु को समझते और इस्लाम की तब्लीग़ के फ़रीज़ा

शेष पृष्ठ 12 पर

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

क़ुरआन-ए-मजीद की हिफ़ाज़त करने वाला अल्लाह तआला है

(क़ुरआन-ए-मजीद की 26 आयतों पर आरोपों के उत्तर)

मुहम्मद हमीद कौसर, नाज़िर दावत इलाल्लाह मर्कज़िया उत्तर भारत, क़ादियान (भाग-7)

आरोप आयत नंबर 2(c)

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوۃِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْکٰفِرِیْنَ کَانُوْا لَکُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا(सूरत निसा : आयत 4 102)

अनुवाद : और जब तुम ज़मीन में (जिहाद करते हुए) यात्रा पर निकलो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज़ क़सर कर लिया करो, यदि तुम्हें ख़ौफ़ हो कि वे लोग जिन्हों ने कुफ़्र किया है तुम्हें आज़माईश में डालेंगे। निसंदेह काफ़िर तुम्हारे खुले खुले दुश्मन हैं।

स्पष्टीकरण इस आयत में अल्लाह तआला ने मुस्लमानों को यह हुक्म दिया कि जब वे हालत जंग और मैदान-ए-जंग में हो और इस के लिए वे ज़मीन में यात्रा करने वालों की हालत में हों तो उनको आज्ञा दी गई है कि अपनी नमाज़ छोटी कर लिया करें। अर्थात ज़ुहर की दो रकात अस्र की दो रकात और इशा की दो रकात पढ़ लिया करें और एक और अवसर पर अल्लाह तआला ने ऐसी हालत में स्लातुल खौफ़ एक विशेष कैफ़ीयत में अदा करने की आज्ञा दी है और उसका उद्देश्य अल्लाह तआला ने यह बताया है कि ऐसा न हो कि तुम नमाज़ की अदायगी में डूबे हो और दुश्मन की तरफ़ तुम्हारी तवज्जा न हो और वे तुम्हें कोई मार और हानि पहुंचा जाएं। इस वजह से अल्लाह तआला ने जंग की हालत में सफ़र करने पर नमाज़ें क़सर करने और ज़रूरत के समय सलातुल खौफ़ अदा करने की इजाज़त दी है। बुद्धिमान व्यक्ति इन्सान की समझ से दूर है कि दरख़ास्त दहिंदा को इस साफ़ और सरीह आयत पर किया आरोप है? बहर हाल यह एक असूली तालीम है और क़ियामत तक रहने वाली तालीम है जब किसी समय और स्थान में उसकी ज़रूरत पेश आए तो इस पर अमल किया जाएगा उमूमी हालात में इस पर अमल नहीं किया जाता।

ऊपर वर्णित आयत के आख़िर में वर्णन है कि "اِنَّ الْکٰفِرِیْنَ کَانُوْا لَکُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا" निसंदेह काफ़िर तुम्हारे खुले खुले दुश्मन हैं। शायद आरोप लगाने वाले इन शब्दों से यह तास्सुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि "काफ़िर तुम्हारे खुले खुले दुश्मन हैं।" से मुराद यह है कि हर वह इन्सान जो मुस्लमान नहीं वह काफ़िर है और वह मुस्लमानों का दुश्मन है।

अगर इस ग़लती में ग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है तो यह कोशिशें न केवल खंडन करने के योग्य बल्कि निंदनीय हैं। इस आयत का अर्थ यह है कि वे लोग जो इस्लाम का इन्कार करके इस को इस संसार से ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं और तुम्हें सही तौर पर नमाज़ भी अदा नहीं करने देते वे तुम्हारे खुले खुले दुश्मन हैं। इस विषय में एक मिसाल तहरीर कि सन 5 हिजरी, फरवरी मार्च 627 ई. कुफ़्फ़ार का लश्कर जिसमें दस हज़ार से लेकर पंद्रह हज़ार तक अस्करी थे मदीना के मुस्लमानों को नष्ट करने के लिए मदीना के बाहर पहुंच गया। मुस्लमानों ने अपनी रक्षा के लिए एक ख़ंदक़ खोदी ताकि कुफ़्फ़ार उसे पार न कर सकें और मदीना उनके अचानक हमले से सुरक्षित रहे। मुस्लमानों ने अपने बचाओ और हिफ़ाज़त के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार तैयारी की।

इस दौरान एक अवसर ऐसा आया कि मुस्लमान अस्र की नमाज़ वक़्त पर अदा नहीं कर सके। यहां तक आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नमाज़ अस्र सूरज डूबने के बाद अदा की इसके बाद मग़रिब की नमाज़ अदा की।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने इन काफ़िरों के घरों और क़ब्रों को आग से भर दिया जिन्हों ने सूरज डूब जाने तक हमें नमाज़-ए-अस्र न अदा करने दी। (बहवाला सही बुख़ारी, अबवाबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़वा ख़नदक)

हासिल कलाम यह कि वर्णित आयत में विशेषता इन काफ़िरों की दुश्मनी का वर्णन है जो मुस्लमानों को बरवक़्त नमाज़ अदा करने में रोक बनते थे।

आरोप आयत नंबर 2(e)

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِیْھِمْ نَارًا ؕ کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُھُمْ بَدَّلْنٰھُمْ جُلُوْدًا غَیْرَھَا لِیَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا(सुरत निसा 4 57)

अनुवाद : यक़ीनन वे लोग जिन्हों ने हमारी आयात का इन्कार किया है हम उन्हें आग में दाख़िल करेंगे। जब कभी उनके चमड़े गल जाऐंगे हम उन्हें बदल कर दूसरे चमड़े दे देंगे ताकि वे अज़ाब को चखें। निसंदेह अल्लाह कामिल ग़लबा और साहब-ए-हिक्मत है।

स्पष्टीकरण : क़ुरआन-ए-मजीद में इन्सान के जन्म का यह उद्देश्य बताया गया है कि وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ(सूरत ज़ारियात 51 57) अनुवाद : और मैंने जिनो और इंसानों को पैदा नहीं किया परन्तु इस उद्देश्य से कि वे मेरी इबादत करें।

फिर फ़रमाया : الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَھُوَالْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ(सूर: अल् मुल्क,सूर: नंबर 67 आयत 3)अनुवाद : वही जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वे तुम्हें परखे कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतरीन है। और वह कामिल ग़लबा वाला (और) बहुत क्षमा करने वाला है।

फिर फ़रमाया وَھَدَیْنٰہُ النَّجْدَیْنِ (सूरत बल्दिया 90 आयत 11) अनुवाद : और हमने उसे दो उच्च रास्तों की तरफ़ हिदायत दी। तथा फ़रमाया : فَاَلْھَمَھَا فُجُوْرَھَا وَتَقْوٰھَا (सूरत शमस 91आयत नंबर 9) अनुवाद अत: उसकी बे इन्साफियोंऔर उसकी परहेज़गारियों (की तमीज़ करने की सलाहीयत) को उसकी फ़ित्रत में डाला गया।

इसकी मज़ीद स्पष्टीकरण यह है कि हर इन्सान का अपनी माँ की गर्भ में जिस्म तैयार होता है फिर वे जन्म लेकर इस दुनिया में आता है इस दुनिया में कोई इन्सान यह नहीं बता सकता कि वह अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ था और कैसा था। और फिर यह भी एक हक़ीक़त है कि इन्सानी ज़िंदगी दो चीज़ों का मेल है एक उसका जिस्म दूसरी उसकी रूह (आत्मा) और जब उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है तो कहा जाता है कि उसकी मौत हो गई और मौत के बाद बहुत से धर्मे वाले उसके मुर्दा जिस्म को जलते हुए अंगारों में जला कर राख कर देते हैं एक दृश्य **نضجت جلودھم** का यहां नज़र आजाता है और कुछ धर्म वाले इस जिस्म को क़ब्र के हवाले कर के ख़ाक बना देते हैं जहां उसके जिस्म को ज़मीनी कीड़े मकोड़े खा कर नष्ट कर देते हैं और **نضجت جلودھم** इस तरह भी पूरा हो रहा होता है इसके बाद उसकी रूह उस जगह वापस चली जाती है जहां से वह आई थी और अगर इस दुनिया में उसने अपनी ज़िंदगी ख़ुद अपने मालिक और स्रष्टा की तालीमात के अनुसार गुज़ारी होगी तो उसका अगला सफ़र जन्नत में रुहानी दर्जों प्रप्ति के लिए शुरू हो जाता है। जिसने इस दुनिया में गुनाह, पाप, बुराइयाँ, ज़ुलम का इर्तिकाब किया होगा उसको उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए जहन्नुम की तरफ़ भिजवा दिया जाता है जहां उसके गुनाहों की सज़ा के बाद उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत के आरंभिक दर्जों की तरफ़ सफ़र के लिए भिजवा दिया जाता है इसलिए इस बारे में हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु (1965-1889) फ़रमाते हैं "इन्सान हमेशा दोज़ख़ में नहीं रहेगा बल्कि जिस तरह माँ के पेट में कुछ अरसा के लिए रहता है इस तरह कुछ अरसा के लिए वह दोज़ख़ में रहे ग़ाफ़िर बाहर की खुली हवा अर्थात जन्नत में आ जाएगा। इसी तरह हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं : یاتی علی جھنم زمان لیس فیھا احد و نسیم الصبا تحرک ابوابھا

(तफ़सीर मुआलिम तनज़ील आयत 107/11: فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوْا)

अर्थात जहन्नुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस में कोई व्यक्ति नहीं होगा और हवा उसके दरवाज़ों को खटखटाएगी इस हदीस से भी इसक़ुरआन की आयत की तसदीक़ होती है।" (तफ़सीर सग़ीर हाशिया पृष्ठ 844)

इस दुनिया में हम देखते हैं कि क़ातिल, चोर, डाकू, व्यभिचारी को जेल की सज़ाएं दी जाती हैं और उनमें से कुछ को फांसी की सज़ा गले में रसा और फंदा डाल कर तख़्ते पर लटका कर दी जाती है। प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि उसको उसके जुर्म की सज़ा का मज़ा चखाने के लिए। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस आयत में यह जो वर्णन है कि जब कभी उनके चमड़े गल जाऐंगे हम उन्हें बदल कर दूसरे चमड़े दे देंगे ताकि वे अज़ाब चखें। गुनाहों का अज़ाब चखाने के लिए क़ुरआन-ए-मजीद में ये शब्द आए हैं परन्तु क़ुरआन-ए-मजीद और अहादीस से यह भी इलम होता है कि जहन्नुम से एक दिन सब रिहाई पा जाऐंगे।

इस हक़ीक़त को वर्णन करने के बाद इस आयत पर कोई आरोप बाक़ी नहीं रहता बल्कि हमारी दुआ है कि अल्लाह तआला हर इन्सान को वर्णित आयत से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने उद्देश्य को समझ कर ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे जो रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए हो। आमीन।

(शेष आगे)

★ ★ ★

ख़ुत्बः जुमअः

इब्न-ए-अबी क़हाफ़ा की मिसाल फ़रिश्तों में मीकाईल की भांति है (हदीस)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के महान ख़लीफ़ा राशिद सिद्दीक़-ए-अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की विशेषताएं और गुण

ग़ज़वा-ए-बनू क़ुरैज़ा, सुलह हुदैबिया, सरय्या अबू बकर बनू फ़ज़ारा की तरफ, सरय्या अबू बक़र नजद की तरफ और ग़ज़वा-ए-फ़तह मक्का का वर्णन

देखो उमर! सँभल कर रहो, रसूले ख़ुदा की रिकाब पर जो हाथ तुम ने हाथ रखा है उसे ढीला न होने देना क्योंकि ख़ुदा की क़सम यह व्यक्ति जिसके हाथ में हमने अपना हाथ दिया है बहरहाल सच्चा है (सिद्दीक़-ए-अकब रज़ियल्लाहु अन्हु)

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 04 फ़रवरी 2022 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ

आज कल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन हो रहा है और कुछ ग़ज़वात का भी वर्णन हुआ था। ग़ज़व-ए-बनू क़ुरैज़ा एक ग़ज़वा था। वाकदी ने ग़ज़वा-ए-बनू क़ुरैज़ा में शामिल लोगों के नाम वर्णन किए हैं जिस के अनुसार क़बीला बनू तीम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा बिन उबयदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी ग़ज़वा-ए-बनू क़ुरैज़ा में शामिल हुए थे।

(किताबुल मग़ाज़ी लिल् वाकदी, भाग 2, पृष्ठ 4 ग़ज़वा बनी कुरेज़ा, दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2013 ई.)

अब्दुर्रहमान बिन ग़नम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ रवाना हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ क्या हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लोग अगर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को दुनियावी ज़ीनत वाले लिबास में देखेंगे तो उनमें इस्लाम क़बूल करने की इच्छा अधिक होगी। अत: आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वह वस्त्र पहने जो हज़रत साद बिन अबाद: रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया था। अत: आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसे पहनें ताकि मुशरेकीन आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर ख़ूबसूरत लिबास देखें। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं ऐसा करूँगा। अल्लाह की क़सम! अगर तुम दोनों मेरे लिए किसी एक बात पर सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हारे मश्वरे के ख़िलाफ़ नहीं करता और मेरे रब ने मेरे लिए तुम्हारी मिसाल ऐसी ही वर्णन की है जैसा कि उसने फ़रिश्तों में से जिब्राईल और मीकाईल की मिसाल वर्णन की है। जहां तक इब्ने ख़त्ताब हैं तो उनकी मिसाल फ़रिश्तों में से जिब्राईल की सी है। अल्लाह ने हर उम्मत को जिब्राईल के द्वारा ही हलाक किया है और उनकी मिसाल नबियों में से हज़रत नूह की तरह है जब उन्होंने कहा رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا (नूह : 27) हे मेरे रब काफ़िरों में से किसी को ज़मीन पर बसा हुआ न रहने दे। और इब्न-ए-अबी क़हाफ़ा की मिसाल फ़रिश्तों में मीकाईल की भांति है अर्त:त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की मिसाल। जब वे मग़फ़िरत तलब करता है तो उन लोगों के लिए जो ज़मीन में हैं और नबियों में इस की मिसाल हज़रत इब्राहीम अ. की तरह है जब उन्होंने कहा فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ(इब्राहीम : 37) अत: जिसने मेरी पैरवी की तो वह नि:संदेह मुझ से है और जिसने मेरी ना-फ़रमानी की तो नि:संदेह तू बहुत बख़शने वाला और बार-बार रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तुम दोनों मेरे लिए किसी एक बात पर सहमत हो जाओ तो मैं मश्वरा में तुम दोनों के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। लेकिन तुम दोनों की हालत मश्वरे में कई तरह की है जैसे जिब्राईल और मीकाईल और नूह और इबराहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। (कंज़ुल उम्माल, भाग 7 पृष्ठ 10 किताब अल् फ़ज़ायल, फ़ज़ाइल अल् सहाबा, रिवायत नंबर 36132 दारुल क़ुतुब इल्मिया 2004 ई.)

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जब बनू क़ुरैज़ा का घेराव किया हुआ था तो इस हवाले से एक रिवायत में वर्णित है। आयशा बिंत साद ने अपने पिता से वर्णन किया। वह वर्णन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया। हे साद आगे बढ़ो और उन लोगों पर तीर चलाओ। मैं इस हद तक आगे बढ़ा कि मेरा तीर उन तक पहुंच जाएँ और मेरे पास पच्चास से अधिक तीर थे जो हमने चंद लम्हों में चलाए मानो हमारे तीर टिड्डी दिल की तरह थे। अत: वे लोग अंदर घुस गए और उनमें से कोई भी झांक कर बाहर नहीं देख रहा था। हम अपने तीरों के विषय में डरने लगे कि कहीं वे सारे ही ख़त्म न हो जाएं। अत: हम उनमें से कुछ तीर चलाते और कुछ को अपने पास सुरक्षित रखते।

हज़रत काब बिन अमर और माज़ेनी भी तीर चलाने वालों में से थे। वह कहते हैं कि मैं ने उस दिन जितने तीर मेरे तरकश में थे वह सारे चलाए यहां तक कि जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र गया तो हमने उन लोगों पर तीर चलाना बंद कर दिए। वह कहते हैं कि हम तीर-अंदाज़ी कर चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर सवार थे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बिना हथयारों के थे और घुड़सवार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द थे। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फ़रमाया तो हम अपने अपने ठिकानों की तरफ़ लौट आए और हमने रात गुज़ारी। और हमारा खाना वे खजूरें थीं जो हज़रत साद बिन उबादह रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजी थीं और वे खजूरें काफ़ी ज़्यादा थीं। हमने रात उन ख़जूरों में से खाते हुए गुज़ारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा गया कि वे भी खजूरें खा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते कि खजूर क्या ही उम्दा खाना है।

(किताबुल मगाज़ी लिल् वाक्त्दी, भाग 2, पृष्ठ 6 ग़ज़वा बनू कुरैज़, दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2013 ई.)

हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बनू क़ुरैज़ा के विषय में निर्णय किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की और फ़रमाया कि तुमने अल्लाह के हुक्म के अनुसार निर्णय किया है। इस पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की कि हे अल्लाह अगर तू ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की क़ुरैश के साथ कोई और जंग मुक़द्दर कर रखी है तो मुझे उसके लिए ज़िंदा रख और अगर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और क़ुरैश के मध्य जंग का अंत कर दिया है तो मुझे वफ़ात दे दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन फ़रमाती हैं कि उनका घाव खुल गया हालाँकि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ठीक हो चुके थे और उस घाव का मामूली निशान बाक़ी रह गया था और वह अपने ख़ेमे में वापस आ गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनके लिए लगवाया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि उसकी क़सम जिसके क़बज़ा क़ुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जान है कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रोने की आवाज़ को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के रोने की आवाज़ से अलग पहचान रही थी जबकि मैं अपने हुजरे में थी। अर्थात उस वक़्त जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की प्राणांत होने की दशा थी, तो ये दोनों रो रहे थे। मैं अपने हुजरे में थी और वह ऐसे ही थे जैसे कि अल्लाह ने फ़रमाया है رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ(अल् फ़तह : 30) अर्थात आपस में एक दूसरे से बेहद

प्रेम करने वाले हैं। (उद्धरित मस्नद अहमद बिन हम्बल, भाग 8 पृष्ठ 256 से 259 मसनद आयशा रिवायत 25610 अलेमुल क़ुतुब 1998 ई.)

सुलह हुदैबिया के हवाले से लिखा है जैसा कि पिछले ख़ुतबात में वर्णन हो चुका है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक स्वप्न देखा कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। इस स्वप्न की बिना पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम चौदह सौ सहाबा की जमईयत के साथ ज़ुल्कादा 6 हिज्री के शुरू में रविवार के दिन सुबह के समय मदीना से उमरह की अदायगी के लिए रवाना हुए। (उद्धरित सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पृष्ठ 749-750)

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुफ़्फ़ार-ए-मक्का ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मक्का में दाख़िल होने से रोकने की तैयारी कर ली है तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मश्वरा माँगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने मश्वरा देते हुए अर्ज़ किया कि हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! हम तो केवल उमरे के लिए आए हैं हम किसी से लड़ने नहीं आए। मेरी राय यह है कि हम अपनी मंज़िल की तरफ़ जाएं। अगर कोई हमें बैतुल्लाह से रोकने की कोशिश करेगा तो हम उससे लड़ाई करेंगे।

(उद्धरित सब्लुल हुदा वर्रिशाद, भाग 5 पृष्ठ 37 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 1993 ई.)

सुलेह हुदैबिया के अवसर पर जब क़ुरैश की तरफ़ से आपसी बात चीत के लिए वफ़ूद का सिलसिला शुरू हुआ तो उर्वा आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बात चीत करने लगे। उर्वा ने कहा मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) बताओ तो सही अगर तुमने अपनी क़ौम को पूर्णता नाबूद कर दिया तो क्या तुमने अरबों में से किसी अरब के विषय में सुना है जिसने तुमसे पहले अपने ही लोगों को तबाह कर दिया हो? और अगर दूसरी बात हो अर्थात क़ुरैश ग़ालिब हुए तो अल्लाह की क़सम मैं तुम्हारे साथियों के चेहरों को देख रहा हूँ जो इधर उधर से इकट्ठे हो गए हैं वे भाग जाऐंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने उर्वा बिन मसऊद से निहायत कठोर शब्दों में कहा कि जाओ जाओ जा कर अपने बुत लात को चूमते फिरो अर्थात उसकी पूजा करो। इस पर उर्वा ने पूछा यह कौन है? लोगों ने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो। उर्वा ने कहा देखो उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम्हारा मुझ पर एक एहसान न होता जिसका मैं ने अभी तक तुम्हें बदला नहीं दिया तो मैं इस का तुम्हें उत्तर देता। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो का एहसान यह था कि एक विषय में उर्वा पर दियत जब वाजिब हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने दस गाभन ऊंटनियों के साथ उसकी सहायता की थी। बहरहाल उर्वा ने यह कहा और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बातें शुरू कर दें।

सुलह हुदैबिया के अवसर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ क़ुरैश का अनुबंध हो रहा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो कहते थे कि मैं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा क्या आप सच-मुच अल्लाह के नबी नहीं हैं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्यों नहीं। मैंने कहा क्या हम हक़ पर नहीं हैं और हमारा दुश्मन झूठ पर? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्यों नहीं। मैंने अर्ज़ किया तो फिर हम अपने दीन के विषय में अपमान जनक शर्तें क्यों मानें? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं अल्लाह का रसूलुल्लाह हूँ और मैं उसकी ना-फ़रमानी नहीं करूँगा। वह मेरी मदद करेगा। अर्थात अगर मैं शर्तें मान रहा हूँ तो यह अल्लाह तआला के हुक्म की ना-फ़रमानी नहीं है। फ़रमाया कि वह मेरी मदद करेगा। मैंने कहा अर्थात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हम से नहीं कहते थे कि हम जल्द बैतुल्लाह में पहुँचेंगे और इस का तवाफ़ करेंगे? फ़रमाया: निसंदेह मैंने कहा था और क्या मैंने तुम्हें यह बताया था कि हम बैतुल्लाह इसी वर्ष पहुँचेंगे? आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा। मैंने यह तो नहीं कहा था कि हम इसी साल बैतुल्लाह पहुँचेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे। मैंने कहा नहीं तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो फिर बैतुल्लाह ज़रूर पहुँचोगे और उसका तवाफ़ भी करोगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे यह सुन कर मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो! क्या हक़ीक़त में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा क्या हम हक़ पर नहीं हैं और हमारा दुश्मन झूठ पर? उन्होंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा हम अपने दीन के विषय में अपमानित करने वाली शर्त क्यों स्वीकार करें? इस वक़्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हे ख़ुदा के बन्दे! निसंदेह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूलुल्लाह हैं और रसूलुल्लाह अपने रब की ना-फ़रमानी नहीं किया करता और अल्लाह ज़रूर उनकी सहायता करेगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने तक़रीबन वही शब्द दोहराए जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाए थे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तै किए वादे को मज़बूती से थामे रहो। अल्लाह की क़सम! आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम निसंदेह हक़ पर हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं मैं ने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हम से नहीं कहते थे कि हम ज़रूर बैतुल्लाह में पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा अवश्य। क्या आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि तुम इसी वर्ष वहां पहुँचोगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं इस पर मैंने कहा नहीं। तो इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा फिर तुम ज़रूर वहां पहुँचोगे और उसका तवाफ़ ज़रूर करोगे। ज़ोहरी ने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि मैं ने इस ग़लती की वजह से बतौर कफ़्फ़ारा कई नेक अमल किए।(उद्धरित सही बुख़ारी, किताब الشروط ،بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ ،हदीस नम्बर 2731-2732)(उद्धरित उम्दतुल कारी, भाग 14 पृष्ठ 16 दारुल दारुल अहया तुर्रास अरबी बेरूत) यह बुख़ारी में से लिया गया है।

इसी सुलेह हुदैबिया की तफ़सीलात का वर्णन करते हुए हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हो ने लिखा है कि उर्वा आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ बात चीत शुरू की। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने अपनी वही तक़रीर दोहराई जो इस से क़बल आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बुदेल बिन वर्का के सामने फ़र्मा चुके थे। उर्वा उसूलन आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की राय के साथ सहमत था परन्तु क़ुरैश की सिफ़ारत का हक़ अदा करने और उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा शर्तें सुरक्षित कराने के उद्देश्य से कहने लगा। हे मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम)! अगर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अपनी क़ौम को मालिया-मेट कर दिया तो क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अरबों में किसी ऐसे आदमी का नाम सुना है जिसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले ऐसा ज़ुलम ढाया हो लेकिन अगर बात अस्त-व्यस्त हुई अर्थात क़ुरैश को ग़लबा हो गया तो ख़ुदा की क़सम! मुझे आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे मुँह नज़र आ रहे हैं कि उन्हें भागते हुए देर नहीं लगेगी और ये सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो जो उस वक़्त आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास ही बैठे थे उर्वा के ये शब्द सुन कर क्रोध से भर गए और फ़रमाने लगे जाओ जाओ और लात को, अर्थात उनका बुत जो लात है, उसको चूमते फिरो। क्या हम ख़ुदा के रसूलुल्लाह को छोड़ जाऐंगे? लात बुत जो था वे क़बीला बनू सक़ीफ़ का एक प्रसिद्ध बुत था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब यह था कि तुम लोग बुतपरस्त हो और हम लोग ख़ुदा-परस्त हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तो बुतों की ख़ातिर सब्र-ओ-सबात दिखाओ और हम ख़ुदा पर ईमान लाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को छोड़ कर भाग जाएं। उर्वा ने तैश में आकर पूछा यह कौन व्यक्ति है जो इस तरह मेरी बात काटता है? लोगों ने कहाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो। अबू बकर का नाम सुनकर उर्वा की आँखें शर्म से नीची हो गईं। कहने लगा हे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो अगर मेरे सिर पर तुम्हारा एक भारी एहसान न होता। यहां भी यही वर्णन किया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने एक दफ़ा उसका क़र्ज़ अदा करके उसकी जान छुड़ाई थी। तो ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हें उस वक़्त बताता कि ऐसी बात का जो तुमने कही है किस तरह उत्तर देते हैं।

(उद्धरित सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, पृष्ठ 757-756)

बुख़ारी के एक हवाले में वर्णित है कि सुलह हुदैबिया के अवसर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ क़ुरैश का अनुबंध हो रहा था और शर्तें तै पा चुकी थीं। उस वक़्त हज़रत अबू जिंदल जो कि सुहेल बिन अम्र के बेटे थे अपनी ज़ंजीरों में लड़खड़ाते हुए आए। सुहेल बिन अम्र ने जो मक्का की तरफ़ से बतौर सफ़ीर आए थे उसने उनको वापस करने का मुतालिबा किया। आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस को क़ुरैश को वापस कर दिया। (उद्धरित सही बुख़ारी, किताब بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ ،हदीस नम्बर 2731-2732)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस की कुछ तफ़सील से वर्णन किया है और इस में इस वाक़िया का भी वर्णन है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बेहस करते हुए किया था कि अगर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के सच्चे

नबी हैं तो फिर हम यूं नीचे लग कर बात क्यों करें। बहरहाल इसकी तफ़सील यह है अर्थात अबू जिंदल के साथ ज़्यादती हो रही है इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात की।

"मुस्लमान ये दृश्य देख रहे थे" अब्बू जिंदल से ज़्यादती का "और मज़हबी ग़ैरत से उनकी आँखों में ख़ून उतर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सामने सहम कर ख़ामोश थे। आख़िर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से न रहा गया। वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के क़रीब आए और काँपती हुई आवाज़ में फ़रमाया। क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ुदा के सच्चे रसूलुल्लाह नहीं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ हाँ ज़रूर हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्या हम हक़ पर नहीं और हमारा दुश्मन झूठ पर नहीं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ हाँ ज़रूर ऐसा ही है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तो फिर हम अपने सच्चे दीन के मामले में ये अपमान क्यों सहन करें? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत को देख कर संक्षिप्त शब्दों में फ़रमाया। उमर! मैं ख़ुदा का रसूलुल्लाह हूँ और मैं ख़ुदा की इच्छा को जानता हूँ और इसके ख़िलाफ़ नहीं चल सकता और वही मेरा सहायक है परन्तु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत का समुद्र हर क्षण बढ़ रहा था। कहने लगे क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हम से यह नहीं फ़रमाया था कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ मैंने ज़रूर कहा था परन्तु क्या मैंने यह भी कहा था कि यह तवाफ़ ज़रूर इसी साल होगा? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कहा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो फिर इंतिज़ार करो। तुम इंशा अल्लाह ज़रूर मक्का में दाख़िल होगे और काअबा का तवाफ़ करोगे। परन्तु इस जोश के आलम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तसल्ली नहीं हुई लेकिन चूँकि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का विशेष प्रभाव था इस लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से हट कर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के पास आए और उनके साथ भी इसी किस्म की जोश की बातें कीं। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी इसी किस्म के उत्तर दिए परन्तु साथ ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने नसीहत के रंग में फ़रमाया देखो उम्र सँभल कर रहो। रसूलुल्लाह-ए-ख़ुदा की रिकाब पर जो हाथ तुमने रखा है उसे ढीला न होने देना क्योंकि ख़ुदा की क़सम! यह व्यक्ति जिसके हाथ में हमने अपना हाथ दिया है बहरहाल सच्चा है।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस वक़्त में अपने जोश में ये सारी बातें कह तो गया परन्तु बाद में मुझे सख़्त शर्मिंदगी हुई और मैं तौबा के रंग में इस कमज़ोरी के असर को धोने के लिए बहुत से नफ़्ली आमाल बजा लाया। अर्थात सदक़े किए। रोज़े रखे। नफ़्ली नमाज़ें पढ़ीं और ग़ुलाम आज़ाद किए ताकि मेरी इस कमज़ोरी का दाग़ धुल जाए।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, पृष्ठ 767-768)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सुलह हुदैबिया के वाक़ियात वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं कि "रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जब ख़ाना काबा के तवाफ़ के लिए तशरीफ़ ले गए तो कुफ़्फ़ार ने ख़बर पा कर अपने एक सरदार को आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तरफ़ रवाना किया कि वह जा कर कहे कि इस साल आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तवाफ़ के लिए न आएं। वह सरदार आपके पास पहुंचा और बातचीत करने लगा। बात करते वक़्त उसने आपके पवित्र बालों को हाथ लगाया कि आप इस दफ़ा तवाफ़ न करें और किसी अगले साल पर स्थगित कर दें।'' हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि'' एशीया के लोगों में दस्तूर है कि जब वे किसी से बात मनवाना चाहते हों तो मिन्नत के तौर पर दूसरे की दाढ़ी को हाथ लगाते हैं या अपनी दाढ़ी को हाथ लगा कर कहते हैं देखो! मैं बुज़ुर्ग हूँ और क़ौम का सरदार हूँ मेरी बात मान जाओ। इस लिए उस सरदार ने भी मिन्नत के तौर पर आपकी दाढ़ी को हाथ लगाया। यह देख कर एक सहाबी आगे बढ़े और अपनी तलवार का हत्था मार कर सरदार से कहा अपने नापाक हाथ पीछे हटाओ। सरदार ने तलवार का हत्था मारने वाले को पहचान कर कहा तुम वही हो जिस पर मैंने अमुक अवसर पर एहसान किया था। यह सुनकर वह सहाबी ख़ामोश हो गए और पीछे हट गए। सरदार ने फिर मिन्नत के तौर पर आपकी दाढ़ी को हाथ लगाया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें इस सरदार के इस तरह हाथ लगाने पर सख़्त ग़ुस्सा आ रहा था परन्तु उस वक़्त हमें कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता था जिस पर इस सरदार का एहसान न हो और उस वक़्त हमारा दिल चाहता था काश! हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होता जिस पर इस सरदार का कोई एहसान न हो। इतने में एक व्यक्ति हम में से आगे बढ़ा जो सिर से पांव तक ख़ुद और ज़िरा में लिपटा हुआ था और बड़े जोश के साथ सरदार से सम्बोधित हो कर कहने लगा हटा लो अपना नापाक हाथ। ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो थे।'' जिन्हों ने यह कहा था। "सरदार ने जब उनको पहचाना तो कहा हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है।"

(हिन्दुस्तानी उलझनों का आसान तरीन हल, अनवारुल उलूम, भाग 18 पृष्ठ 560)

ज़ुल क़ादा छः हिज्री में सुलह हुदैबिया के अवसर पर जब सुलह नामा लिखा गया तो इस अनुबंध की दो नक़लें तैयार की गईं और बतौर गवाह के फ़रीक़ैन के अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्तिगणों ने उन पर अपने हस्ताक्षर किए। मुस्लमानों की तरफ़ से हस्ताक्षर करने वालों में से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यह सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि से उद्धरित है।

(उद्धरित सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि अज़ हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एम. ए.,पृष्ठ 769)

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाया करते थे कि इस्लाम में सुलह हुदैबिया से बड़ी कोई और फ़तह नहीं है।

(सब्लुल हुदा वर्रिषाद, भाग 5 पृष्ठ 64 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 1993 ई.)

सरय्या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो बनू फ़ज़ारह की तरफ़, इसके वर्णन में लिखा है कि यह सरय्या 6 हिज्री में हुआ है। बनू फ़ज़ारह नजद और कुरा की वादी में आबाद थे। (फरहंग सीरत, पृष्ठ 64 ज़वार-ए-अकेडेमी कराची 2003 ई.)

तबक़ातुल कुबरा में और सीरत इब्ने हश्शाम में लिखा है कि यह सरय्या हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में भेजा गया था। (उद्धरित अल् तब्कातुल कुबरा, भाग 2 पृष्ठ 69 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2017 ई.)(उद्धरित सीरतुन नब्विय्या ले इब्ने हश्शाम, पृष्ठ 875 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2001 ई.)

लेकिन सही मुस्लिम और सुंन अबी दाऊद की हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो को इस सरय्या का अमीर निर्धारित फ़रमाया था। इस लिए सही मुस्लिम की रिवायत में है कि इय्यास बिन सलमा वर्णन करते हैं कि मेरे पास मेरे पिता ने वर्णन किया वह कहते हैं कि हमने फ़ज़ारह क़बीले से जंग की और हमारे अमीर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो थे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हम पर अमीर बनाया था।

(सही मुस्लिम, किताबुल जिहाद वस्सेर, باب التنفيل و فداء المسلمين بالاساری. हदीस 4573) (सुंन अबी दाऊद, किताब अल्जिहाद, باب الرخصة فی المدركين يفرق بينهم , हदीस 2697)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी इस सरय्या का वर्णन करते हुए यह वर्णन फ़रमाया है कि "आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु काअएक दस्ता हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की कमान में बनू फज़ाराह की तरफ़ रवाना फ़रमाया। यह क़बीला उस वक़्त मुस्लमानों के ख़िलाफ़ नुकसान पहुचना या जंग आदि के लिए तैयार था और इस दस्ता में सलमा बिन अक्वा भी शामिल हुए जो प्रसिद्ध तीर-अंदाज़ और दौड़ने में विशेष योगता रखते थे। सल्मा बिन अक्वा वर्णन करते हैं कि हम सुबह की नमाज़ के क़रीब उस क़बीला की क़रार गाह के पास पहुंचे और जब हम नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने हमें हमले का हुक्म दिया। हम क़बीला फ़ज़ारा से लड़ते हुए उनके चशमा तक जा पहुंचे और मुशरिकीन के कई आदमी मारे गए जिसके बाद वे मैदान छोड़ कर भाग निकले और हमने कई आदमी क़ैद कर लिए। सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि भागने वाले लोगों में से एक पार्टी बच्चों और औरतों की थी जो जल्दी जल्दी एक क़रीब की पहाड़ी की तरफ़ बढ़ रही थी। मैंने उनके और पहाड़ी के मध्य तीर फेंकने शुरू कर दिए। जिस पर यह पार्टी भयभीत हो कर खड़ी हो गई और हमने उन्हें क़ैद कर लिया। इन क़ैदियों में एक बूढ़ी महिला भी थी जिसने अपने ऊपर सुर्ख़ चमड़े की चादर ओढ़ रखी थी और उसकी एक ख़ूबसूरत लड़की भी उसके साथ थी। मैं इन सबको घेर कर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के पास ले आया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु यह लड़की मेरी निगरानी में दे दी। फिर जब हम मदीना में आए तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से यह लड़की ले ली और उसे मक्का भिजवा कर उसके बदले में कुछ मुस्लमान क़ैदियों की रिहाई हासिल की जो मक्का वालों के पास क़ैद थे।''(सीरत सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पृष्ठ 716-717)जिन को मक्का वालों ने क़ैद किया हुआ था। इस लड़की के बदले उनको छुड़वाया।

ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के बारे में वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में सात हिज्री में ख़ैबर की तरफ़ रवाना हुए। ख़ैबर एक नख़लिस्तान है जो मदीना मुनव्वरा से एक सौ चौरासी किलो मीटर उत्तर में स्थित है। यहां एक आतिश-फ़िशानी चटानों का सिलसिला है। यहां यहूद के बहुत से क़िले थे जिनमें से कुछ के निशान अब भी बाक़ी हैं। इन क़िलों को मुस्लमानों ने ग़ज़वा-ए-ख़ैबर

में फ़तह किया था। यह इलाक़ा निहायत ज़रख़ेज़ और यहूद का सबसे बड़ा केंद्र था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मदीना पर सिबाब बिन उर्फ़ा ग़िफ़ारी को अमीर निर्धारित किया। (तारीख़ तिब्री भाग 3 पृष्ठ 144 ذکر الاحداث الکائنة فی سنة سبع من الهجرة غزوۂ خیبر बेरूत 2002 ई.)(एटलस सीरत नब्वी अज़ डाक्टर शौक़ी अबू ख़लील, पृष्ठ 330 दारुस्सलाम) (फ़र्हंग सीरत, पृष्ठ 117 ज़वार एकेडेमी कराची 2003 ई.)

ख़ैबर में क़िलों का घेराव दस से अधिक रातें रहा।

(मवाहिबुल दुनिया, भाग 1 पृष्ठ 517 ग़ज़वा-ए-ख़ैबर अल्मकतब इस्लामी 2004 ई.)

हज़रत बुरेदा रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को आधे सिर का दर्द हो जाता था तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम एक या दो दिन बाहर तशरीफ़ नहीं लाते थे। अत: जब आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खेबर में उतरे तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को दर्द शक़ीक़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ नहीं लाए। सिर दर्द होती है जिसे शक़ीक़ा, migraine कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हो को कतीबा के क़िलों की तरफ़ भेजा। अत: उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का झंडा लिया और दुश्मन के मुक़ाबले में डट गए और सख़्त युद्ध किया। फिर वापस आ गए और फ़तह नहीं हुई हालाँकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का झंडा लिया और सख़्त क़िताल किया और यह पहले क़िताल से भी ज़्यादा सख़्त था। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम भी वापस लौट आए लेकिन फ़तह नहीं हुई।

(सब्लुल हुदा वर्रिशाद, भाग 5 पृष्ठ 124 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 1993 ई.)

इतिहास और जीवनी की अधिकतर पुस्तकों में यही मिलता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बाद एक अमीर लश्कर बनाया गया था लेकिन उनके हाथ से क़िला फ़तह नहीं हो सका। जबकि एक किताब है जिसका नाम "सय्यदना सिद्दीक़-ए-अकबर" है। यह लाहौर से फरवरी 2010 ई. में प्रकाशित हुई थी। हमारी तहक़ीक़ करने वालों ने इसको देखकर मुझे लिखा है। इस में मुसन्निफ़ ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से वह क़िला फ़तह हुआ था लेकिन उसने कोई हवाला नहीं दिया। बहरहाल लेखक लिखता है कि एक क़िले की फ़तह के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो अमीर-ए-लश्कर हो कर गए जो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हाथ पर फ़तह हुआ। दूसरे क़िला पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को निर्धारित किया गया वह भी सफ़ल हुए। तीसरे क़िला को विजय करने की मुहिम मुहम्मद बिन मसलम रज़ियल्लाहु अन्हो के सपुर्द हुई लेकिन वह इस में सफ़ल नहीं हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सुबह में ऐसे व्यक्ति को अमीर लश्कर बना कर इल्म दूँगा जो ख़ुदा और उस के रसूलुल्लाह को बहुत दोस्त रखता है और उस के हाथ से क़िला फ़तह होगा। इस लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो को इल्म प्रदान हुआ और क़िला विजय हुआ। (सय्यदना सिद्दीक़ अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हो, पृष्ठ 49 अल्हाज हकीम ग़ुलाम नबी एम. ए, मुद्रित अदबियात लाहौर)

एक रिवायत ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के हवाले से वाक़दी की है। क्योंकि लोग उसकी तारीख़ भी पढ़ते हैं इसलिए वर्णन कर देता हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह सौ फ़ीसद सही हो। बहरहाल वह लिखता है कि ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के अवसर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हुब्बाब बिन मुन्ज़िर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो वसल्लम! यहूद खजूर के दरख़्त को अपनी जवान औलाद से भी अधिक प्रिय रखते हैं। आप उनके खजूर के दरख़्त काट दें। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ख़जूरों के दरख़्त काटने का इरशाद फ़रमाया और मुस्लमानों ने तेज़ी से ख़जूरों के दरख़्त काटने शुरू किए। यहां तक जो यह वर्णन है वह सौ फ़ीसद काबिल-ए-क़बूल नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल यह अगला हिस्सा सही लगता है। कहते हैं कि इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ क्या हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो वसल्लम! यक़ीनन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ख़ैबर का वादा किया है और वह अपने वादे को पूरा करने वाला है जो उसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से किए हैं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खजूर के दरख़्त न काटें। इस पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया और ख़जूरों के दरख़्त काटने से मना कर दिया।

(किताबुल मगाज़ी लिल् वाक्त्दी, भाग 2 पृष्ठ 120 बाब ग़ज़वा-ए-ख़ैबर दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2004 ई.)

जब अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ख़ैबर पर फ़त्हा नसीब फ़रमाई तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ख़ैबर की एक ख़ास वादी कती को अपने रिश्तेदारों और अपने ख़ानदान की औरतों और मुस्लमानों के मर्दों और औरतों में तक़सीम फ़रमाया। इस अवसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अन्य रिश्तेदारों के अतिरिक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी एक सौ वसक गल्ला और खजूरें अता फ़रमाई।

(उद्धरित सीरतुं नबविय्या ले इब्ने हश्शाम, पृष्ठ 707 वर्णन مقاسم خیبر و اموالها. दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2001 ई.)

एक वसक साठ साव का होता है और एक साव अढ़ाई किलो का होता है। (लुग़ात अल्हदीस, भाग 4 पृष्ठ 487 और भाग 2 पृष्ठ 648) इस तरह तक़रीबन तीन सौ पचहत्तर मन आहार बनता है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्सा में आया।

सरय्या हज़रत अबू बकर नजद के बारे में लिखा है कि नजद एक अर्ध रेगिस्तान लेकिन शादाब इलाक़ा है। इस में असंख्य वादियां और पहाड़ हैं। यह जुनूब में यमन, उत्तर में सहराए शाम और इराक़ तक जा पहुंचता है। इसके मग़रिब में सहराए हिजाज़ स्थित है। यह इलाक़ा सतह ज़मीन से बारह सौ मीटर बुलंद है। इस बुलंदी के आधार पर इस को नजद कहते हैं।

(फ़रहंग सीरत, पृष्ठ 297 ज़वार एकेडेमी कराची 2003 ई.)

नजद में बनू किलाब मुस्लमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो को उनकी दमन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने वहां भेजा। यह सरय्या शाबान सात हिज्री में हुआ। हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो को भेजा और हम लोगों पर उनको अमीर बनाया।

(سبل الهدیٰ والرشاد سریة ابوبکر الی بنی کلاب بنجد, भाग 6 पृष्ठ 131 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 1993)

अबू सुफ़ियान सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्का आया तो उसके बारे में लिखा है कि सुलह हुदैबिया की ख़िलाफ़वरज़ी करते हुए जब बनू बक्र ने जो क़ुरैश के हलीफ़ थे, मुस्लमानों के हलीफ़ क़बीला बनू ख़ुज़ाह पर हमला किया और क़ुरैश ने हथियारों और सवारियों से बनू बकर की मदद भी की और सुलह हुदैबिया की शरायत का पास नहीं किया और बड़े ग़रूर और तकब्बुर से कह दिया कि हम किसी अनुबंध को नहीं मानते तो उस वक़्त अबू सुफ़ियान मदीना में आया और सुलह हुदैबिया के अनुबंध की तजदीद चाही। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास गया लेकिन आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। फिर वह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे बात की कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बात करें लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन हो चुका है वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया उन्होंने भी इंकार कर दिया। बहरहाल वह नाकाम लौटा। (उद्धरित सीरत हिशाम, पृष्ठ 734-735 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत 2001 ई.) (शरह ज़रक़ानी, भाग 3 पृष्ठ 379-380 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत)

ग़ज़व-ए-फ़तह मक्का, इस ग़ज़वा को ग़ज़वा फ़तह इज़म भी कहते हैं।

(शरह ज़रक़ानी, भाग 3 पृष्ठ 386 दारुल क़ुतुब इल्मिया बेरूत)

ग़ज़वा-ए-मक्का रमज़ान आठ हिज्री में हुआ। तारीख़ तिब्री में वर्णन है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लोगों को यात्रा की तैयारी का इरशाद फ़रमाया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से फ़रमाया मेरा सामान भी तैयार कर दो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दाख़िल हुए, उनके घर गए। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामान को तैयार कर रही थीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने पूछा हे मेरी बेटी! क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कुछ इरशाद फ़रमाया है कि आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का सामान तैयार करो? उन्होंने कहा जी हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने पूछा तुम्हारा क्या ख़्याल है कि आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का इरादा कहाँ जाने का है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानती। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ़ जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उन्हें तुरंत इंतिज़ाम करने और तैयार होने का इरशाद फ़रमाया और दुआ की कि हे अल्लाह क़ुरैश के जासूसों को और उनके मुख़बिरों को रोके रख यहां तक कि हम उन लोगों को उनके इलाक़ों में अचानक पा लें। इस पर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी।

(तारीख़ अल् तिब्री ذکر الخبر عن فتح مکه لابی جعفر محمد بن جریر طبری भाग 3 पृष्ठ 166 दारुल फ़िकर बेरूत 2002 ई.)

इस वाक़िया की मज़ीद वज़ाहत करते हुए सीरत हलबी्या में लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से

इस्तिफ़सार फ़र्मा रहे थे तो उसी वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आपसे पूछा हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यात्रा का इरादा फ़रमाया है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ किया तो फिर मैं भी तैयारी करूँ? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने दरयाफ़त किया हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने कहाँ का इरादा फ़रमाया है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ुरैश के मुक़ाबला का परन्तु साथ ही यह फ़रमाया कि अबू बकर इस बात को अभी गुप्त ही रखना। उद्देश्य आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लोगों को तैयारी का हुक्म दिया परन्तु आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनको इस से बे-ख़बर रखा कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कहाँ जाने का इरादा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क्या क़ुरैश और हमारे मध्य अभी अनुबंध और सुलह की मुद्दत बाक़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ परन्तु उन्होंने ग़द्दारी की है और अनुबंध को तोड़ दिया है परन्तु मैं ने तुमसे जो कुछ कहा है इसको गुप्त ही रखना।

एक रिवायत में यूं वर्णन हुआ है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने किसी तरफ़ रवानगी का इरादा फ़रमाया है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा शायद आप बनू असफ़रा रोमीयों की तरफ़ कूच का इरादा फ़र्मा रहे हैं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ किया तो क्या फिर नजद की तरफ़ कूच का इरादा है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा फिर शायद आप क़ुरैश की तरफ़ रवानगी का इरादा फ़र्मा रहे हैं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ किया कि हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! परन्तु आपके और उनके मध्य तो अभी सुलह नामा की मुद्दत बाक़ी है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन्होंने बनू काब अर्थात बनू ख़ुज़ाअ के साथ क्या-किया है? इस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दिहात और इर्द-गिर्द के मुस्लमानों में संदेश भिजवाए और उनसे इरशाद फ़रमाया कि जो व्यक्ति अल्लाह तआला और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वह रमज़ान के महीना में मदीना हाज़िर हो जाए। अत: आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ऐलान के अनुसार क़बायल अरब मदीना आने शुरू हो गए। जो क़बायल मदीना पहुंचे उनमें बनू असलम, बनू ग़फ़ार, बनू मुज़य्ना, बनू अशजा और बनू जुहेयना थे। इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की कि हे अल्लाह क़ुरैश के मुख़बिरों और जासूसों को रोक दे यहां तक कि हम उन लोगों पर उनके इलाक़े में अचानक जा पहुंचीं। आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने समस्त रास्तों पर निगरानी करने वाली जमातें बिठा दीं ताकि हर आने जाने वाले के विषय में पता रहे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि जो कोई भी अंजान व्यक्ति तुम्हारे पास से गुज़रे तो उसे रोक देना ताकि क़ुरैश को मुस्लमानों की तैयारी का इलम न हो सके।

(सीरातुल हल्बिया भाग 3 पृष्ठ 107-108 दारुल क़ुतुब इल्मिया, बेरूत 2002)

इस वाक़िया की तफ़सील वर्णन करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा कि मेरा यात्रा का सामान बांधना शुरू करो। उन्होंने यात्रा क सामान बांधना शुरू किया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मेरे लिए सत्तू इत्यादि या दाने इत्यादि भून कर तैयार करो। ईसी किस्म की ग़िज़ाएँ उन दिनों में होती थीं। इस लिए उन्होंने मिट्टी इत्यादि फटक कर दानों से निकालनी शुरू की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो घर में बेटी के पास आए और उन्होंने यह तैयारी देखी तो पूछा आयशा यह क्या हो रहा है? क्या रसूलुल्लाह अल्लाह किसी यात्रा की तैयारी में हैं? कहने लगीं यात्रा की तैयारी ही मालूम होती है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यात्रा की तैयारी के लिए कहा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस पर कहा कोई लड़ाई का इरादा है? उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मेरा सामान यात्रा का तैयार करो और हम ऐसा कर रहे हैं। दौ तीन दिन के बाद आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा देखो तुम्हें पता है ख़ुज़आ के आदमी इस तरह आए थे और फिर बताया कि यह वाक़िया हुआ है और मुझे ख़ुदा ने इस वाक़िया से पहले से ख़बर दे दी थी कि उन्होंने ग़द्दारी की है और हमने उनसे अनुबंध किया हुआ है। अब यह ईमान के ख़िलाफ़ है कि हम डर जाएं और मक्का वालों की बहादुरी और ताक़त देख कर उनके मुक़ाबला के लिए तैयार न हो जाएं। तो हमने वहां जाना है तुम्हारी क्या राय है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा। हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! आपने तो उनसे अनुबंध किया हुआ है और फिर वह आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की अपनी क़ौम है। अर्थ यह था कि क्या आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी क़ौम को मारेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। हम अपनी क़ौम को नहीं मारेंगे। अनुबंध तोड़ने वालों को मारेंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। तो उन्हों ने कहा। बिसमिल्लाह में तो रोज़ दुआएं किया करता था कि यह दिन नसीब हो और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त में कुफ़्फ़ार से लड़ें। रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : अबू बकर बड़ा नरम तबीयत का है परन्तु सच्चा कथन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से ज़्यादा जारी होता है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तैयारी करो। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इर्द-गिर्द के क़बायल को ऐलान भिजवाया कि हर व्यक्ति जो अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह पर ईमान रखता है वह रमज़ान के आरंभिक दिनों में मदीना में जमा हो जाए। इस लिए लश्कर जमा होने शुरू हुए और कई हज़ार आदमियों का लश्कर तैयार हो गया और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम निकले तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हे ख़ुदा! मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मक्का वालों के कानों को बहरा कर दे और उनके जासूसों को अंधा कर दे। न वे हमें देखें और न उनके कानों तक हमारी कोई बात पहुंचे। इस लिए आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम निकले मदीना में सैंकड़ों मुनाफ़िक़ मौजूद थे लेकिन दस हज़ार का लश्कर मदीना से निकलता है और कोई इत्तिला तक मक्का में नहीं पहुँचती।

(उद्धरित सैर-ए-रुहानी 7) अनवारुल उलूम, भाग 24 पृष्ठ 260 से 262) ये अल्लाह तआला के काम थे।

तबक़ात इब्ने साद में लिखा है कि मुस्लमानों का क़ाफ़िला इशा के समय मर्रुज़ोहरान में उतरा मर्रुज़ोहरान मक्का से मदीना के रास्ते पर पच्चीस किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात पच्चीस किलो मीटर मक्का से दूर था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया तो उन्होंने दस हज़ार जगह आग रोशन की। क़ुरैश को आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रवानगी की ख़बर नहीं पहुंची। वह दुखी थे क्योंकि उन्हें यह डर था आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उन से जंग करेंगे। यह ख़्याल था उनका। ख़बर तो नहीं पहुंची लेकिन यह ख़्याल था कि क़ुरैश की जंग अब ज़रूर होगी। इस बात का उनको ग़म था। बहरहाल लगता है यहां ग़लत लिखा गया है रवानगी की ख़बर उनको पहुंच गई। यहां पहुंचने के बाद ख़बर पहुंची होगी। तो जब यह क़ाफ़िला वहां ठहर गया और दस हज़ार जगहों पर आग रोशन हो गई तो क़ुरैश ने अबूसुफ़ियान को भेजा कि वह हालात मालूम करे। उन्होंने कहा अगर तू मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से मिले तो हमारे लिए उनसे अमान ले लेना। अब्बू सुफ़ियान बिन हरब, हकीम बिन हिज़ाम और बुदील बिन वर्का रवाना हुए। जब उन्होंने लश्कर देखा तो सख़्त परेशान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस रात पहरे पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को निगरान निर्धारित फ़रमाया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबूसुफ़ियान की आवाज़ सुनी तो पुकार कर कहा कि अबू हनज़ला, यह अबू सुफ़ियान का उपनाम है, उसने कहा लब्बैक। यह तुम्हारे पीछे किया है? अबू सुफ़ियान ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम्हारे पीछे किया है? उन्होंने कहा ये दस हज़ार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पनाह दी। उसे और उस के दोनों साथियों को आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया। तीनों इस्लाम ले आए। (अल् तब्कातुल कुबरा, भाग 2 पृष्ठ 102-103 ग़ज़वा रसूलुल्लाह आमुल फ़तह दारुल क़ुतुब इल्मिया 2017 ई.) (एटलस सीरत नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, पृष्ठ 396 मक्तबा दारुल सलाम)

अभी इसका तसलसुल आगे जारी है। इंशा-ए-अल्लाह आइन्दा वर्णन होगा।

★★★

इस्लाम और जमाअत अहमदिया के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 103 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web. www.alislam.org, www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

गर्भवती विधवा का क़ुरआन-ए-करीम में वर्णन चार माह दस दिन की इद्दत वाले स्पष्ट आदेश को किसी सूरत में नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता हुज़ूर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा दुःख की आज्ञा नहीं सिवाए विधवा को कि वह अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन दुःख करेगी इस हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने गर्भवती महिला के लिए कोई मुक्ति नहीं फ़रमाया कि वह गर्भावस्था के अंत (जनन) तक दुःख करेगी मेरे नज़दीक विधवा होने की सूरत में यदि गर्भ है और वह चार महीने दस दिन पूरे होने के बाद भी चल रहा है तो वह उस की समय सीमा को पूरा करेगी और यदि चार महीने दस दिन से पहले जनन हो रहा है तो तब भी वह चार महीने दस दिन का समय ही पूरा करेगी

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर (क़िस्त 9)

प्रश्न : ख़ुला प्राप्त करने वाली महिला की इद्दत के बारे में मज्लिस इफ्ता की सिफ़ारिशात हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ की सेवा में पेश होने पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने इस विषय के फ़िक़्ही पहलू के विषय में अपने पत्र तिथि 21 नवंबर 2017 ई. में निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया

उत्तर : जहाँ तक इस विषय का फ़िक़्ही पहलू है तो मेरे नज़दीक भी तलाक़ और ख़ुला की इद्दत अलग है। इस बारे में मज्लिस इफ्ता की रिपोर्ट में वर्णन दलायल के अतिरिक्त यह बात भी समक्ष रखनी चाहिए कि जिस तरह तलाक़ और ख़ुला की तफ़सीलात में अंतर है, इसी तरह उनके अहकामात में भी अंतर है। तलाक़ का अधिकार अल्लाह तआला ने मर्द को दिया है और जब मर्द अपना यह हक़ इस्तिमाल करता है तो इसके साथ ही तलाक़ की इद्दत का समय शुरू हो जाता है, जबकि ख़ुला महिला का हक़ है जो वह क़ज़ा की मार्फ़त इस्तिमाल करती है और जब तक क़ज़ा का फ़ैसला न हो जाए उसकी इद्दत का समय शुरू नहीं होता और क़ज़ा की कार्रवाई जिसमें महिला की तरफ़ से निवेदन देना, निर्णय करवाने वालों की कार्रवाई, दोंनो की सुनवाई और फ़ैसला इत्यादि वे विषय हैं जिन पर साधारणता दो तीन माह लग जाते हैं। अत: ख़ुला की इद्दत के कम रखने में एक यह भी हिक्मत है कि ख़ुला के बाद महिला को केवल उसी क़दर पाबंद किया गया है जिससे उस का हमल से ख़ाली होना साबित हो जाए।

इसके बाद हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने मज्लिस इफ्ता की रिपोर्ट से सम्बन्धित ऊपर वर्णित उत्तर के अतिरिक्त तलाक़ और ख़ुला की इद्दत के अंतर पर मज़ीद रोशनी डालते हुए तथा विधवा की इद्दत के बारे में फ़रमाया :

तलाक़ की इद्दत के बारे में तफ़सीली अहकामात तो क़ुरआन-ए-करीम में वर्णित हैं कि आम हालात में इद्दत तीन हैज़ होगी। जैसा कि फ़रमाया :وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْٓءٍ(अल् बक़रा : 229) अर्थात तलाक़ दी गई महिलाों को तीन हैज़ के समय तक अपने आपको रोके रखना होगा। और जिन महिलाओं को हैज़ नहीं आता उनके बारह में फ़रमाया :

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ (सूरत तलाक़ : 5)

कि तुम्हारी महिलाओं में से जो हैज़ से उदास हो चुकी हों यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और इसी तरह उनकी भी जिनको हैज़ नहीं आ रहा। और जो महिलाऐं गर्भवती हैं उनकी इद्दत के सम्बन्ध में फ़रमाया :

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(सूरत तलाक़ : 5) यानी जिन महिलाों को हमल हो उनकी इद्दत वज़ा हमल तक है। जबकि ख़ुला की इद्दत की नस नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीस पर आधारित है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से मर्वी है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हो की पत्नी ने अपने पति से ख़ुला लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का आदेश दिया।

(सुंन तिरमिज़ी किताब अल् तलाक़ बाब मा जाआ फ़ी ख़ुला)

अत: क़ुरआन-ए-करीम और नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों में वर्णित बैटन से भी साबित हो जाता है कि तलाक़ और ख़ुला की अलग अलग इद्दत है और इस की हिकमतें और वजूहात भी हैं जो ऊपर वर्णन कर दी गई हैं।

जहां तक विधवा की इद्दत का ताल्लुक़ है तो इस बारे में अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है कि

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (अल् बक़रा : 235)

अर्थात और तुम में से जिन (लोगों) की रूह क़बज़ कर ली जाती है और वे (अपने पीछे) पत्नियाँ छोड़ जाते हैं (चाहिए) कि वे (बीवीयां) अपने आपको चार महीने (और) दस (दिन) तक रोक रखें फिर जब वह अपना निर्धारित वक़्त पूरा कर लें वे अपने सम्बन्ध में मुनासिब तौर पर जो कुछ (भी) करें उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं और जो तुम करते हो अल्लाह उस से वाक़िफ़ है।

विधवा के गर्भवती होने की सूरत में उसकी इद्दत के बारे में सहाबा के ज़माना से ही मतभेद चला आ रहा है। इसलिए कुछ सहाबा وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ(सुरत तलाक़ : 5) की रोशनी में यह राय रखते थे कि विधवा के गर्भवती होने की सूरत में इस की इद्दत भी जनन ही है चाहे जनन पति के देहांत से अगले क्षण में हो जाए जिस के लिए वे हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा वाले वाक़िया से दलील लेते हैं। (जिस में आता है कि हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत साद बिन ख़ोला रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह में थीं जो हज्जतुलविदा के अवसर पर फ़ौत हो गए जबकि हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा गर्भवती थीं। थोड़े दिनों बाद उनके हाँ बच्चा पैदा हुआ। जब वह अपने निफ़ास के बाद अच्छी हो गईं तो उन्होंने शादी का पैग़ाम भेजने वालों के लिए बनाव-सिंगार किया। क़बीला अब्दुल दार के एक व्यक्ति अबू सनाबिल बिन बाकक रज़ियल्लाहु अन्हो ने उनसे कहा कि क्या तुम निकाह का पैग़ाम भेजने वालों के लिए बनाव-सिंगार कर के बैठ गई हो और निकाह की उम्मीद कर रही हो? ख़ुदा की कसम तुम कदापि

निकाह नहीं कर सकती जब तक कि तुम पर चार माह और दस दिन न गुज़र जाएं। हज़रत सबीहा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इस पर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मुझे फ़तवा दिया कि जब बच्चा पैदा हो गया तो मैं आज़ाद हूँ और यदि मैं मुनासिब समझूं तो निकाह कर लूं) जबकि कुछ दूसरे सहाबा जिनमें हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो शामिल हैं की राय में विधवा के गर्भवती होने की सूरत में जनन चार माह दस दिन में से जो लम्बा समय होगी वह विधवा की इद्दत है।

गर्भवती विधवा की इद्दत जनन होने के समर्थकों के पास हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के इस वाक़िया के अतिरिक्त और कोई दलील नहीं है, निम्न पर ध्यान दिए बगैर कि पुस्तकों हदीसों में इस वाक़िया के रावियों, हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के पति के नाम, पति के वफ़ात का समय और तरीक़ वफ़ात (तिब्बी मौत और क़तल के बारे में तथा हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के हाँ बच्चे के जन्म के समय के बारे में बेशुमार मतभेदों पाए जाते हैं। जिनसे इस वाक़िया का ठीक होना समिक्षा योग्य होना ठहरता है।

अतिरिक्त इसके ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और ख़िलाफ़त-ए-राशिदा के ज़माना में होने वाली इस्लामी जंगों में हर आयु के सैंकड़ों सहाबा ने शहादत का जाम नोश फ़रमाया और नि:संदेह उनमें से कई सहाबा ऐसे भी होंगे जिनकी पत्नियाँ उनकी शहादत के वक़्त गर्भवती होंगी लेकिन ऐसी किसी विधवा के जनन के तुरंत बाद उसके निकाह का कोई एक भी वाक़िया इतिहास की पुस्तकों और जीवनियों की पुस्तकों में न मिलना इस कथन को संदिग्ध और मुश्तबा ठहराता है। अत: इस एक वाक़िया के आधार पर क़ुरआन-ए-करीम में वर्णन चार माह दस दिन की इद्दत वाले स्पष्ट मत को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त इसके हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने किसी की वफ़ात पर दु:ख के बारे में उमूमी हिदायत देते हुए इरशाद फ़रमाया कि किसी की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा दु:ख की आज्ञा नहीं अतिरिक्त विधवा को कि वे अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन दु:ख करेगी।

(सही बुख़ारी, किताब अल् जनाएज़, بَاب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)

इस हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने गर्भवती महिला के लिए कोई अपवाद नहीं फ़रमाया कि वह जनन तक दु:ख करेगी।

इसी तरह क़ुरआन-ए-करीम में जहां जनन के साथ इद्दत ख़त्म करने का इरशाद है वहां केवल तलाक़ की सूरत को वर्णन किया गया है, पति की वफ़ात का वहां कोई वर्णन नहीं किया गया।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तसनीफ़ आर्या धर्म में आयत وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ का जो अनुवाद वर्णन फ़रमाया है इस में इस आयत का तलाक़ के साथ अवलंबन कर के हमारा मार्गदर्शन फ़र्मा दिया कि क़ुरआन-ए-करीम का यह आदेश तलाक़ वाली महिलों के लिए है विधवा के लिए नहीं है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ नंबर 28 अर्थात गर्भवती वाली महिलाओं की तलाक़ की इद्दत यह है कि वे वज़ा हमल तक बाद तलाक़ के दूसरा निकाह करने से बची रहे। इस में यही हिक्मत है कि यदि हमल में ही निकाह हो जाए तो सम्भव है कि दूसरे का संतान भी ठहर जाए तो इस अवस्था में वंश ज़ाए होगी और यह पता नहीं लगेगा कि वे दोनों लड़के किस-किस बाप के हैं।"

(आर्या धर्म, रुहानी ख़ज़ायन, भाग 10 पृष्ठ 21)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी दर्सुल क़ुरआन में सूरत अल् तलाक़ की इस आयत की तफ़सीर में वज़ा हमल की इद्दत को तीन माह की इद्दत (जो कि तलाक़ की सूरत में निर्धारित है ना कि बेवगी की सूरत) में गुज़ारने वाली महिलाओं के विषय में वर्णन फ़रमाया है न कि चार माह दस दिन की इद्दत गुज़ारने वाली विधवा महिलाओं के सम्बन्ध में इस आदेश को वर्णन फ़रमाया है। इसलिए हुज़ूर रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

"और वे महिलाएं जो हैज़ से ना उम्मीद हो गई हों (1) बूढ़ी हों (2) जिनको हैज़ नहीं आता हो अर्थात वयस्कता की आयु तक न पहुंची हों (3) वे जो कि बीमार हों अर्थात इस्तिहाज़ा वाली। इन के लिए तीन माह की इद्दत है और हमल वालियों की इद्दत उनके गर्भ के दिनों में ही हैं। जब बच्चा जन चुकीं तो इद्दत ख़त्म हो गई। इस पर लोगों ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं कि यदि तीन माह से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो क्या इद्दत ख़त्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि कम से कम तीन माह परन्तु आंहज़रत आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़माना में एक वाक़िया हुआ था कि एक महिला को तीन माह से पहले ही बच्चे का जनन हो गया था और उसे आपने दूसरी शादी की आज्ञा दे दी थी। इस लिए इस बात का फ़ैसला हो चुका हुआ है।" (अख़बार अल् फ़ज़ल, क़ादियान दारुल अमान, तिथि 4 मई 1914 ई. पृष्ठ 14)

अत: मेरे नज़दीक विधवा होने की सूरत में यदि हमल है और वह चार महीने दस दिन पूरे होने के बाद भी चल रहा है तो वह उसके समय को पूरा करेगी और यदि चार महीने दस दिन से पहले बच्चे का जन्म हो रहा है तो तब भी वह चार महीने दस दिन का समय ही पूरी करेगी। मेरा यह इस्तिंबात इस हदीस की बिना पर है जिसमें यह वर्णन है कि किसी की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा दु:ख की आज्ञा नहीं अतिरिक्त विधवा के जो कि अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन का दु:ख करेगी।

(सही बुख़ारी, किताब अल् जनायज़, بَاب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)

यह हदीस इस बात को स्पष्ट कर देती है कि यहां तलाक़ वाली या गर्भ वाली शर्त लागू नहीं होती। यहां विधवा का जो समय है वह चार महीने दस दिन वर्णन फ़रमाया गया है। यदि केवल यह देखना होता कि इस समय में गर्भ प्रकट हो जाएगा तो यहां भी तलाक़ वाली शर्त ही रखी जा सकती थी लेकिन चार महीने दस दिन की समय को निर्धारित करने से अल्लाह तआला का उद्देश्य यह ज्ञात होता है कि इतने समय में हमल भी ज़ाहिर हो जाते हैं और इस के अतिरिक्त जो अफ़्सुर्दगी का समय है वह भी गुज़र जाता है। इसलिए तलाक़ के लिए तो इद्दत का समय बच्चे का जन्म या तीन महीने रखा है लेकिन विधवा की सूरत में चार महीने दस दिन की शर्त बहर हाल पूरी होनी चाहिए। इसलिए मेरे नज़दीक बेवगी की सूरत में इद्दत का समय चार महीने दस दिन है। क़त-ए-नज़र इसके कि वह गर्भवती है कि नहीं। यदि गर्भवती है और गर्भ चार महीने दस दिन से पहले

Tahir Ahmad Zaheer
M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
DIRECTOR
طالب دعا
Tahir Ahmad Zaheer
Director oxford N.T.T.College
Jaipur (Rajasthan)
TEACHER TRAINING
OXFORD N.T.T. COLLEGE
(Teacher Training)
(A unit of Oxford Group of Education)
Affialiated by A.I.I.C.C.E. New Delhi 110001
0141-2615111- 7357615111
oxfordnttcollege@gmail.com
Add. Fateh Tiba Adarsh Nagar, Jaipur-04
Reg. No. AllCCE-0289/Raj.

जनन हो जाता है तो तब भी उसकी इद्दत चार माह दस दिन ही होगी जो वह पूरी करेगी। और यह आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस आदेश के अनुसार है कि महिला के लिए जो दु:ख है वह चार महीने दस दिन का है। और यही क़ुरआन-ए-करीम का भी आदेश है।

प्रश्न : एक मित्र ने आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इरशाद कि "बच्चों को सात साल की उम्र में नमाज़ का आदेश दो और दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़ने पर उन्हें सज़ा दो" के सम्बन्ध में हुज़ूर की सेवा में मार्गदर्शन का निवेदन किया। जिस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 2 फ़रवरी 2019 ई. में निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया

उत्तर : इस्लाम की तालीम की बड़ी ख़ूबी यह है कि वह संतुलन पर आधारित है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह इरशाद भी अपने अंदर इसी संतुलन को लिए हुए है कि इबादत जो कि हर इन्सान के जन्म का प्रथम उद्देश्य है, बचपन से ही इस पर-ज़ोर दिया जाए और बच्चों को अपने नमूना के साथ साथ नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन की जाए। तीन साल की मुसलसल तलक़ीन और उपदेश के बाद भी यदि बच्चा उसकी पाबंदी न करे तो उसे एक वक़्त तक मुनासिब सज़ा देने का आदेश है। लेकिन यह सज़ा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सज़ा देने वाले की तरफ़ से इस बच्चे के साथ एक दुश्मनी का रंग हो या इन्सान यह समझे कि इस सज़ा के परिणाम में वह ज़रूर उस बच्चा को नमाज़ का आदी बना सकता है। बल्कि इस सज़ा में भी यह बात ही समक्ष होना चाहिए कि तर्बीयत केवल अल्लाह तआला के फ़ज़ल से ही हो सकती है, जिसके हुसूल का असल माध्म दुआ ही है। और जो सज़ा देने की राह इख़तियार की जा रही है वह भी वास्तव में अल्लाह तआला ही के रसूल के आदेश पर इख़तियार की जा रही है ताकि बच्चा इस से सबक पकड़ कर नमाज़ की तरफ़ राग़िब हो जाए। फिर जब बच्चा mature हो जाये और बारह तेराह साल की उम्र को पहुंच कर अच्छे बुरे की समझ इस में पैदा हो जाए तो इस का मुआमला अल्लाह तआला के सपुर्द कर के इस के लिए केवल दुआ और वाज़-ओ-नसीहत के तरीक़ को अपनाना चाहिए। ऐसी ही सज़ा के सम्बन्ध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"यदि कोई व्यक्ति ख़ुद्दार और अपने नफ़स की बाग को क़ाबू से न देने वाला और पूरा मुतहम्मिल और बुर्दबार और बा सुकून और बावक़ार हो तो उसे जबकि हक़ पहुंचता है कि किसी वक़्त उचित पर किसी हद तक बच्चे को सज़ा दे या डाँट-डपट करे।"

(मलफ़ूज़ात, भाग 2 पृष्ठ 4 ऐडीशन 1984 ई.)

प्रश्न : हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल के साथ कैनेडा के अतफ़ाल की virtual मुलाक़ात तिथि 15 अगस्त 2020 ई. में एक तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में इस्तिफ़सार पेश किया कि क्या इस्लाम की तालीम के अनुसार हम ख़ून और मरने के बाद जिस्मानी अंग donate कर सकते हैं? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इसका निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया :

उत्तर : बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मरने से पहले भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी kidney donate करते हैं, कुछ अपने liver donate करते हैं। लेकिन बाक़ी organs तो हम मरने के बाद donate कर सकते हैं और यह अच्छी बात है। जो कोई काम तुम humanity को serve करने के लिए कर रहे हो तो उस के लिए अल्लाह तआला ने आज्ञा दी है। और यह बड़ी अच्छी बात है।

प्रश्न : इसी मुलाक़ात में एक तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में अर्ज़ किया कि हम ख़ुदा तआला के साथ कैसे सम्पर्क पैदा कर सकते हैं? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इस का निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया :

उत्तर : तआला ने फ़रमाया है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम मेरी इबादत करो। मुझे एक समझो। मेरी बातें मानो। मेरा नबी जो तुम्हारे पास तालीम ले के आते हैं, उस पर अमल करो तो तुम मेरे क़रीब आ जाओगे। तुमने यहां दुनिया में किसी से दोस्ती लगानी हो तो तुम दोस्त की बात मानते हो नाँ? उस की बात मानते हो तो तभी वह तुम्हारे साथ दोस्ती करता है नाँ? यदि तुम और वह दोनों दोस्त हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात न माने और तुम उस की बात न मानो तो फिर दोस्ती नहीं नां रहेगी? बस अल्लाह तआला भी यही कहता है कि मेरे से दोस्ती करो, तुम मेरी बात मानो और मैं फिर तुम्हारी बातें मानूँगा। और इस तरह ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा।

प्रश्न : इसी मुलाक़ात में एक और तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में अर्ज़ किया कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, हुज़ूर के लिए सफ़र करना कब safe होगा और हुज़ूर कब कैनेडा तशरीफ़ लाएँगे? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इस प्रश्न का निमंलिखित शब्दों में उत्तर अता फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया

उत्तर : यह तो मैं भी नहीं जानता कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। तुम आप ही कहते हो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, सफ़र नहीं हो सकता। तो फिर दुआ करो, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैनेडा का सफ़र भी हो जाएगा। यह तो दुआओं पर depend करता है कि कितनी जल्दी तुम अल्लाह तआला से उसका फ़ज़ल मांगते हो अल्लाह तआला से फ़ज़ल माँगोगे तो जल्दी यह बीमारी दूर हो जाएगी। फिर तुम्हारे मुल्क की तरह कई और मुल्क (के लोग) भी हैं जो कहते हैं कि आएं, पर नहीं जा सकते। अब पता नहीं कैनेडा की बारी कब आती है? चलो जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सफ़र की आज्ञा हो जाएगी, मैं न आया तो तुम आ जाना, यहां आ के मिल लेना। ठीक है। वैसे तो तुम्हारी मस्जिद इत्यादि देख के इस वक़्त मुझे लग रहा है कि मैं कैनेडा में ही बैठा हुआ हूँ। जिस तरह हवाओं के माध्यम से हमने कैनेडा का दर्शन कर लिया है, इस वक़्त हम सारी चीज़ों का दर्शन कर रहे हैं, तो यही सारे नज़्ज़ारे इस पहले वाले तिफ़्ल ने जो मेराज के सम्बन्ध में प्रश्न किया था तो इसी तरह अल्लाह तआला ने बग़ैर सैटेलाइट के आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को जन्नत का (destinate view) दिखा दिया था। जिस तरह मैं तुम्हारी मस्जिद देख रहा हूँ और मुझे याद आ गया कि अमुक जगह बैठ के मैंने तुम्हारे एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी दिया था। मस्जिद के पिछले हिस्सा में वह कोना भी मुझे नज़र आ रहा है कि किस जगह था। तो इसी तरह नज़्ज़ारे देख के पता लग जाता है। बहर हाल अल्लाह तआला फ़ज़ल करे, जब भी कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो फिर इन शा अल्लाह तआला आएँगे। जितनी ज़ोर से तुम लोग दुआएं करोगे उतनी जल्द अल्लाह फ़ज़ल करेगा।

(ज़हीर अहमद ख़ान, मुरब्बी सिलसिला, इंचार्ज विभाग रिकार्ड दफ़्तर पी एस लंदन)

(धन्यवाद सहित अख़बार अलफ़ज़ल इंटरनैशनल 12 फ़रवरी 2021)

★ ★ ★

इर्शाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन

"अपनी इबादतों को भी विशेष करें और दुनिया को भी इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से अवगत कराएं।"

(ख़ुत्बा जुम्अः 17 मई 2019)

तालिबे दुआ

KHALEEL AHMAD

S/O LATE HAJI BASHEER AHMAD SB AND FAMILY, JAMAAT AHMADIYYA BIJUPURA, SAHARANPUR (U.P)

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफतुल मसीह अल्ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्त्रेरेहिल अज़ीज़ की आयरलैण्ड की यात्रा, सितम्बर 2014 ई (भाग-3)

पार्लियामेंट हाऊस में स्पीकर और विभिन्न सदस्य पार्लियामेंट की हुज़ूर अनवर से मुलाक़ात

हुज़ूर अनवर ने जमाअत के विभिन्न मानवता कामों का वर्णन फ़रमाया

हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि हमारे समस्तर मानवता की भलाई के प्रोग्राम बिना मज़हब और मिल्लत और बिना रंग और नसल के हैं और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी धर्म से हो वह उनसे लाभ उठा सकता है।

(रिपोर्ट: अब्दुल माजिद ताहिर साहब, एडिशनल वकीलुत्तबशीर लंदन)

(अनुवादक: सय्यद मुहयुद्दीन फ़रीद)

24 सितम्बर 2014 बुधवार के दिन

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने सुबह छ: बजे पधार कर नमाज़-ए-फ़ज्र पढ़ाई। नमाज़ की अदायगी के बाद हुज़ूर अनवर अपने रिहायशी हिस्सा में तशरीफ़ ले गए।

सुबह हुज़ूर अनवर ने दफ़्तरी डाक और रिपोर्टस देखीं और हिदायात से नवाज़ा

पार्लियामेंट हाऊस में स्पीकर और विभिन्न सदस्य पार्लियामेंट की हुज़ूर अनवर से मुलाक़ात

आज प्रोग्राम के अनुसार पार्लियामेंट हाऊस के लिए प्रस्थान था जहां नैशनल असैंबली आयरलैंड के स्पीकर और अन्य विभिन्न सदस्य पार्लियामेंट और सैनेटर्ज़ की हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ के साथ मुलाक़ात का प्रोग्राम था।

दस बजकर बीस मिनट पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ होटल से बाहर पधारे और पार्लियामेंट हाऊस के लिए प्रस्थान हुआन। हुकूमत की ओर से हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ को मुकम्मल प्रोटोकोल दिया गया। पुलिस के चार मोटर साईकल हुज़ूर अनवर के क़ाफ़ला को Escort करने के लिए पहले से होटल पहुंचे हुए थे। प्रस्थान से पूर्व एक पुलिस ऑफीसर ने गाड़ियां ड्राईव करने वाले लोगों को विशेषता हिदायात दीं कि किस तरह क़ाफ़ला ने जाना है और यह विशेषता हिदायत दी कि रास्ता में कहीं भी किसी जगह भी चाहे रैड लाइट्स हों या राऊंड अबाओट Round About आए आपने किसी जगह रुकना नहीं है बल्कि निरन्तर चलते चले जाना है। पुलिस स्वयं समस्त चौराहों और अन्य जगहों पर रास्ता क्लीयर रखेगी। इस लिए Escort करते हुए प्रत्येक जगह रास्ता क्लीयर रखा और ग्यारह बजे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ की' पार्लियामेंट हाऊस' तशरीफ़ आवरी हुई।

ऑफीसर केपटं Jhon Flaherty ने पार्लियामेंट हाऊस से बाहर आकर हुज़ूर अनवर का स्वागत किया और स्वागतम कहा और हुज़ूर अनवर को अपने साथ पार्लियामेंट हाऊस के अंदर ले गए।

नैशनल असैंबली के स्पीकर Hon Sean Barrett पहले से ही हुज़ूर अनवर की आमद के मुंतज़िर थे। उन्हों ने हुज़ूर अनवर को बड़ी गर्मजोशी से स्वागतम कहा और बताया कि यहां आयरलैंड में जमाअत अहमदिया से मेरा परिचय है और मैं कम्यूनिटी के कामों को क़दर की निगाह से देखता हूँ। आपकी कम्यूनिटी जबकि छोटी है और संख्या कम है परन्तु बड़े काम करने वाले और उत्सुक है और मैं यहां जमाअत के जलसा सालाना में भी शामिल हो चुका हूँ और जमाअत के माटो मुहब्बत सब के लिए नफ़रत किसी से नहीं से बहुत प्रभावित हूँ।

उन्होंने बताया कि वह इस से पूर्व वज़ीर-ए-दिफ़ा भी रहे हैं। स्पीकर ने बताया कि उन्होंने अफ्रीक़ा के देश रवांडा की यात्रा की है इस हवाला से उन्होंने अफ्रीक़ा की कुछ समस्याओं और मुश्किलात का वर्णन किया।

इस पर हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि मैं स्वयं अफ्रीक़ा में रहा हूँ। आठ वर्ष घाना में रहा हूँ। हुज़ूर अनवर ने जमाअत के प्रगति के कामों का वर्णन करते हुए फ़रमाया कि अफ्रीक़ा में जमाअत ने बड़ी संख्या में स्कूल और हस्पताल क़ायम किए हैं और ग़रीब लोगों को शिक्षा और फ्री ईलाज की सहूलतें प्रदान की हैं। इसी तरह अफ्रीक़ा में ग़रीब लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रदान करने और बिजली प्रदान करने पर भी काम हो रहा है।

हुज़ूर अनवर ने जमाअत के विभिन्न मानवता कामों का वर्णन करते हुए फ़रमाया कि अफ्रीक़ा के विभिन्न देशों में हम मॉडल विलेज Model Village बनाने का काम कर रहे हैं और पीने का साफ़ पानी tap के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। सोलरसिस्टम के माध्यम से बिजली प्रदान की जा रही है। मस्जिद और कम्यूनिटी सैंटर भी बनाने का काम किया गया है। ग्रीन हाऊस बनवाया गया है ताकि गावं वाले अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती कर सकें। इसी तरह Pave Street भी बनाई गई हैं।

हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि हमारे समस्तर मानवता की भलाई के प्रोग्राम बिना मज़हब और मिल्लत और बिना रंग और नसल के हैं और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी धर्म से हो वह उनसे लाभ उठा सकता है।

स्पीकर ने कहा कि हमारे कुछ आइरिश मिशनरी भी अफ्रीक़ा में जाते हैं और वहां हमने भी कुछ स्कूल खोले हुए हैं और उन स्कूलों से शिक्षा याफता लोग विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं।

सदर साहब जमाअत आयरलैंड भी इस मुलाक़ात में साथ थे। सदर साहब ने कहा जमाअत अहमदिया के स्कूल अल्लाह के फ़ज़ल से मुल्क में पर्याप्त शौहरत रखते हैं। इन स्कूलों से पढ़े हुए लोग हुकूमत के विभिन्न विभागों में आला ओहदों पर फ़ायज़ हैं।

हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि हमारे स्कूलों में दीनी शिक्षा भी दी जाती है और इस में आज़ादी है। ज़बरदस्ती नहीं है कि एक ही धर्म की शिक्षा दी जाए। प्रत्येक धर्म के विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस बात पर स्पीकर साहब बहुत हैरान हुए।

स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इन्सानियत की सेवा पर विश्वास रखता हूँ। इस पर हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि इस्लाम की शिक्षा भी यही है कि इन्सान ख़ुदा को पहचाने, ख़ुदा से सम्बन्ध पैदा हो और फिर प्रत्येक इन्सान दूसरे इन्सान का हक़ अदा करे और एक दूसरे की ज़रूरीयात का खयाल रखे।

हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि इस्लाम तो बड़ा शांतिप्रिय धर्म है। परन्तु चरमपंथी मुस्लमान और दहशतगर्द इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हालाँकि इस्लाम का इस दहशतगर्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है और ये इन्साफ़ नहीं है कि किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप की ग़लती से उसके धर्म को बदनाम किया जाए।

इस पर स्पीकर ने कहा कि कुछ जगह तो ईसाइयों की ओर से भी अत्याचार हो रहे हैं।

हुज़ूर ने फ़रमाया ईसाइयों की ओर से जो अत्याचार हो रहे हैं, परन्तु उनके धर्म का नाम कोई नहीं लेता कि यह अत्याचार ईसाइयों ने किया है। यदि कोई मुस्लमान करता है तो इस्लाम को बदनाम किया जाता है।

मुलाक़ात के इस अन्य विभिन्न मामलों और समस्याओं पर भी बातचीत हुई और विचार विमर्श हुआ।

मुलाक़ात का समय 15 मिनट तै था परन्तु यह मुलाक़ात 45 मिनट तक जारी रही। स्पीकर के सेक्रेटरी उसको समय के बारे में बताते रहे कि अब पार्लियामेंट का सैशन शुरू होने वाला है और इस में देरी हो रही है परन्तु स्पीकर ने इन संदेश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह निरन्तर 45 मिनट तक बैठे रहे

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2020-2022 Vol. 07 Thursday 07 April 2022 Issue No.14

MANAGER :
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91-9915379255
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIBTION: Rs. 575/- Per Issue: Rs. 10/- WEIGHT- 20-50 gms/ issue

ग्यारह बजकर 45 मिनट पर यह मुलाक़ात ख़त्म हुई

24 सितम्बर 2014 बुधवार के दिन

इसके बाद प्रोग्राम के अनुसार हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ कान्फ्रैंस हाल (रुम नंबर2) में तशरीफ़ ले आए जहां बीस से अधिक सदस्य पार्लियामेंट और सैनेटर्ज़ हुज़ूर अनवर की आमद के मुंतज़िर थे। इन सदस्यों में देश की चारों बड़ी पार्टीयों Labour, Finegale, Finefail और Sinnfein के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सबसे पहले मेंबर पार्लियामेंट Hon, Eamon o'Cuiv जो पार्लियामेंट में अप्पोज़ीशन पार्टी के सीनीयर मेंबर भी हैं ने हुज़ूर अनवर को पार्लियामेंट में आने पर स्वागतम कहा और हुज़ूर अनवर और जमाअत का परिचय दूसरे सदस्य पार्लियामेंट से करवाया। उन्होंने जमाअत के कामों और ख़िदमात की प्रशंसा की और जमाअत की ओर से सहयोग का वर्णन किया। उन्होंने जमाअत पर होने वाले मज़ालिम का भी वर्णन किया। इसके बाद समस्त सदस्यों ने बारी बारी अपना परिचय करवाया। कुछ सदस्य पार्लियामेंट के नाम दर्ज हैं।

Hon. Dan Naville (चेयरमैन Fine Gale पार्टी)
Hon. Johna Tuffi
Hon. Joe Costella
Hon. Sean Crow
Hon. Eri Byrn
Hon. Earon Crin
Hon. Hilde Garde Naughtow वह सेनिटर हैं
Hon. Fidelha Healy Eames वह सेनिटर हैं

एक मेंबर पार्लियामेंट ने हुज़ूर अनवर की सेवा में कहा कि जमाअत अहमदिया जिस तरह इन्सानियत की क़द्रें क़ायम करने के लिए कहती है वे दूसरे मुस्लमानों में नज़र नहीं आती। यह मालूमात मैंने गहराई में जाकर प्राप्त की हैं। डबलिन बड़ा शहर है और देश की राजधानी भी है आपकी पहली मस्जिद यहां होनी थी।

शेष आगे

★ ★ ★

इर्शाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफतुल मसीह ख़ामिस

ख़िलाफत का निज़ाम भी अल्लाह तआला और उसके रसूल के आदेशों और निज़ाम का हिस्सा है।

(ख़ुत्बा जुम्अ: 24 मई 2019 ई)

तालिबे दुआ

मुहम्मद शुएब सुलेजा पुत्र जनाब मुहम्मद ज़ाहिद सुलेजा मरहूम तथा फैमली, अहमदिया जमाअत कानपुर(उत्तर प्रदेश)

हदीस नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और अगर खड़े होकर संभव न हो तो बैठ कर और अगर बैठ कर भी संभव न हो तो पीठ के बल लेट कर ही सही।

तालिबे दुआ

Sohail Ahmad Nasir and Family

Jamaat Ahmadiyya Adra,Dist: Puruliya. West Bengal

पृष्ठ 1 का शेष

की तक़रीर करने वालों के उद्देश्य को इस से बढ़ कर नहीं समझता जैसे भड़वे, नकल करने वाले, क़व्वाल , गव्ये यही कोशिश करते हैं कि इन के सुनने वाले उनकी तारीफ़ें करें।

अत: जब एक बड़ा मज्मा सुनने वाला हो और इस में हर एक उपहास और दर्जा के लोग मौजूद हूँ, तो ख़ुदा की तरफ़ की आँख खुली नहीं होती। اِلَّا مَاشَاءَ اللہ उद्देश्य यही होता है कि सुनने वाले वाह वाह करें। तालियाँ बजाएँ और चेयरज़ दें। उद्देश्य यह हिस्सा शैतान का उपदेश या बोलने वाले में होता है और उपस्थितगण में शैतानी हिस्सा यह होता है कि वे बोलने वाले की वग्मयता, ज़बान पर पूरी हुकूमत और बात करने की पूर्ण योग्यता, अवसर के अनुसार कविताएँ, कहानियों और हंसाने वाले लतीफों को पसंद करें और दाद दें ताकि बाते समझआने वाली साबित हों। मानो कि उनका उद्देश्य स्वयं ख़ुदा से दूर होता है और बोलने वाले का अलग। वह बोलता है परन्तु ख़ुदा के लिए नहीं और ये सुनते हैं, परन्तु इन बातों को दिल में जगह नहीं देते, इसलिए कि वह ख़ुदा के लिए नहीं सुनते। यह क्यों होता है केवल इस बात के वास्ते कि एक आनंद हासिल करें।

(मल्फ़ूज़ात, भाग प्रथम, पृष्ठ 360 से 361 मुद्रित 2018 क़ादियान)

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

के अदा करने में सुस्ती न करते तो आज दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई और धर्म नज़र नहीं आता क्योंकि उसकी पाक शिक्षा के सामने कोई और शिक्षा ठहर ही नहीं सकती। आज बे-शक इसकी इशाअत में रोक है क्योंकि संसारिक लोभ और लालसा इस्लाम के स्वीकार करने में रोक हो रही है परन्तु यह हालत तो आज पैदा हुई है पहले तो दुनिया भी मुस्लमानों के क़बज़ा में थी जिस तरह दीन उनके हाथ में था।

لِتُبَيِّنَ में एक और लतीफ़ मज़मून भी वर्णन किया गया है और वह यह है कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं कि जिनको इन्सान शर्म की वजह से सुना नहीं सकता उदाहरणता बाइबल के कुछ टुकड़े लेकिन क़ुरआन-ए-करीम ऐसी शरीफ़ाना बातों पर आधारित है कि हर जगह पर उसे सुनाया जा सकता है ।

एक ईसाई का कथन है कि क़ुरआन में यह ख़ूबी है कि हर मज्लिस में पढ़ा जा सकता है। परन्तु हमारी किताबें ऐसी हैं कि हर मज्लिस में नहीं पढ़ी जा सकतीं।

हज़रत लूत और उनकी लड़कियों की घटना, बनीइस्राईल का औरतों बच्चों को ख़ुदा तआला के हुक्म से क़तल करना ये ऐसे वाक़ियात हैं कि उनका मजालिस में वर्णन करना तबीयत पर सख़्त कठोर गुज़रता है। आर्या लोगों की नियोग की शिक्षा भी ऐसी है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग तो अलग रहे ख़ुद आर्या पति अपनी पत्नी को वह शिक्षा पढ़ कर नहीं सुना सकता। परन्तु क़ुरआन-ए-करीम ऐसे मज़ामीन पर आधारित है और ऐसे शब्दों में वर्णन हुई है कि उसे हर क़ौम पर और हर उम्र के लोगों के सामने पढ़ा जा सकता है।

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ से इस तरफ़ इशारा किया गया कि इलहाम फ़िक्र-ए-इंसानी को तेज़ कर देता है। सहाबा का उदाहरण इसका खुला खुला तर्क है। वह अन पढ़ और ज़माने के हालात से नावाक़िफ़ थे परन्तु क़ुरआन के इलहाम को सुनकर और समझ कर दुनिया के उल्मा के उस्ताद बन गए और ऐसी समझ उनको प्रदान की गई कि दुनिया के हर इलम में उन्होंने भविष्य के ज़माना के लिए एक बेहतरीन सबक़ छोड़ा है।

(तफ़सीर-ए-कबीर, भाग 4, पृष्ठ 172 मुद्रित 2010 क़ादियान)

★ ★ ★

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad